कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञापन की तिथि : 03.03.2018

कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की तिथियां :
प्रश्नपत्र-I : 04.06.2018 से 10.06.2018 तक
प्रश्नपत्र-II :01.12.2018
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख: 02.04.2018(सायं 5:00 बजे तक)

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है "।

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक एवं के.औ.सु.ब.में सहायक उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा , 2018

फा.सं. 3/1/2018-नी व यो-II कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों(के.स.पु.ब.) में उप निरीक्षक तथा **के.औ.सु.ब.में सहायक उप निरीक्षक की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-**

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक(सामान्य ड्यूटी): (केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल)

इस पद का वेतनमान लेवल -6(35400-112400/- रूपए) का है और यह समूह 'ख' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय के रूप में वर्गीकृत है ।

दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक(कार्यकारी)- (पुरुष/महिला)

इस पद का वेतनमान लेवल-6(35400-112400/- रूपए) का है और यह दिल्ली पुलिस द्वारा समूह 'ग' (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत है ।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक(कार्यकारी)

इस पद का वेतनमान लेवल-5(29200-92300/- रूपए) का है और इसे समूह 'ग' (अराजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत किया गया है

2. रिक्तियां: - अनंतिम रिक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक(पुरुष)

ब्यौरा	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग
खुली	43	36	4	3	86
भूतपूर्व सैनिक	5	3	2	1	11
योग	48	39	6	4	97

दिल्ली पुलिस में उप-निरीक्षक/महिला

ब्यौरा	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग
खुली	28	15	7	3	53
योग	28	15	7	3	53

के. स. पु.बलों में उप निरीक्षक(सा.ड्यूटी)

बल का नाम	श्रेणी	अना.	अपिव	अजा	अजजा	योग		भूपूसै.
के.रि.पु.ब.	पुरूष	138	74	41	21	274	274	27
	महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
सी.सु.ब.	पुरूष	245	130	72	36	483	508	51
	महिला	12	7	4	2	25		
भा.ति.सी.पु.	पुरूष	15	42	5	10	72	85	8
	महिला	3	7	1	2	13		
स.सी.ब.	पुरूष	103	57	31	15	206	206	21
	महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
कें.औ.सु.ब.	पुरूष						रिक्तियां बाद में सूचित की जाएंगी	
	महिला							
योग		516	317	154	86	1073	1073	107
	पुरूष	501	303	149	82	1035		
	महिला	15	14	5	4	38		

कें.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक(कार्यकारी)

पद	श्रेणी	अना.	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै.
सहा. उप नि. /कार्यकारी	पुरूष					रिक्तियां बाद में सूचित की जाएंगी	
	महिला						
	योग						

उपर्युक्त रिक्तियां अनंतिम हैं तथा भविष्य में इन रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है । रिक्तियों की संख्या में किसी परिवर्तन की सूचना आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ssc.nic.in के माध्यम से दी जाएगी । आयोग द्वारा रिक्तियों को प्रयोक्ता विभागों द्वारा दी गई मांगों के अनुसार विज्ञापित किया गया है । किसी प्रयोक्ता विभाग द्वारा रिक्तियों को वापस लेने/रिक्तियों की संख्या में किसी परिवर्तन के लिए यह आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

के.स.पु.ब. में उप निरीक्षक और के.औ.सु.ब. में सहा.उ.नि के पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है ।

2.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/भूपूसै इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों एवं रिक्तियां सूचित करने वाले विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपलब्ध है ।

2.2 दिल्ली पुलिस में भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है जिसका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

भूतपूर्व सैनिकों के कोटे में से 50% ऐसा कोटा भूतपूर्व सैनिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा :-

(i) विशेष बल/ राष्ट्रीय सुरक्षा गारद(विशेष कार्रवाई समूह) में सेवा की हो ।

अथवा

(ii) कमांडों कोर्स में "अर्हक अनुदेशक" अ.अ. की ग्रेडिंग प्राप्त की हो ।

अथवा

(iii) नौ सेना/वायु सेना के अधिकारी जिन्होंने विशेषीकृत कमांडों जैसी यूनिटों में काम किया हो ।

टिप्पणी-: यदि (i),(ii) और (iii) श्रेणियों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो अपूरित रिक्तियों को अन्य उपलब्ध भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों में से भरा जाएगा ।

3. **<u>राष्ट्रीयता/नागरिकता:</u>**

अभ्यर्थी या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया ,मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है को, अनंतिम रूप से परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा ।

4(क) <u>आयु सीमा</u>: - नीचे 4(ख) में सूचीबद्ध अनुज्ञेय छूटों के अध्यधीन 01.08.2018 को 20 - 25 वर्ष (अर्थात् वे अभ्यर्थी पात्र हैं जिनका जन्म 02.08.1993 से पूर्व और 01.08.1998 के पश्चात् न हुआ हो)

टिप्पणी I: अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4(ख) उपरोक्त पैरा 4(क) के अंतर्गत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट और आयु छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड निम्नानुसार होंगे :-

कोड सं.	श्रेणी	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट**
01	अजा/अजजा	05 वर्ष
02	अ पि व	03 वर्ष
03	भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
04	**समूह 'ख' पदों के लिए** **(i)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5 वर्ष
05	**(ii)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
06	**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षक के लिए** **(i)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
07	**(ii)केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
08	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी,1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों ।	05 वर्ष
09	**केवल समूह 'ग' पदों के लिए:-** **(i) विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
10	**(ii) विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं** जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अजा/अजजा)**	40 वर्ष की आयु तक
11	**केवल दिल्ली पुलिस में रिक्तियों के लिए विभागीय अभ्यर्थी** **(i)विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	30 वर्ष की आयु तक
12	**(ii)विभागीय अभ्यर्थी (अपिव)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	33 वर्ष की आयु तक
13	**(iii)विभागीय अभ्यर्थी (अजा/अजजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	35 वर्ष की आयु तक

टिप्पणी: I ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र **नहीं** हैं । तथापि, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के लाभ का दावा करने की पात्रता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार होगी ।

टिप्पणी: II सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि नियमानुसार आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

टिप्पणी: III आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा ।

टिप्पणी: IV एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने **अंतिम तिथि को** संघ की सशस्त्र सेनाओं में **कम से कम 15 वर्ष की** सेवा की हो, को केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के समूह 'ग' पदों और के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अत: ऐसे गैर स्नातक भूपूसै, जिन्होनें आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं। **इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने पर भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष मानद् स्नातक प्रमाणपत्र अथवा नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र समूह 'ख' पदों के लिए लागू नहीं है।**

भूपूसै से **आशय** उस व्यक्ति से है :-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

- (क) जो अपनी पेंशन अर्जन के पश्चात ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त अथवा कार्यमुक्त अथवा सेवामुक्त हुए हैं चाहे उन्हें अपने अनुरोध पर अथवा नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया है, या
- (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या
- (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं; अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य नि:शक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल,1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

(vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा नि:शक्तता पेंशन दी गई है।

टिप्पणी: V केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में उपलब्ध छूट का लाभ दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी: VI राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचीबद्ध अन्य पिछड़ा वर्गों, परन्तु जो अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्र सूची में शामिल नहीं है के अभ्यर्थियों हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अपिव प्रमाणपत्रों को केवल दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए आरक्षण और आयु में छूट के प्रयोजनों के लिए ही स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-VII: भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे और आश्रित, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन नहीं आते हैं तथा इस प्रकार उन्हें अपनी श्रेणी में भूतपूर्व सैनिक का उल्लेख नहीं करना चाहिए । भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ स्वीकार्य नहीं है ।

4(ग) प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब** इन प्रमाणपत्रों की संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा **दस्तावेज सत्यापन के समय** मांग की जाए । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/विभागीय अभ्यर्थी(दिल्ली पुलिस)इत्यादि, स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा । प्रमाणपत्रों का प्रारुप संलग्न है । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे । **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है । इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 02.04.2018 होगी ।**

अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती ।

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव/ भूपूसै /विभागीय अभ्यर्थी(दिल्ली पुलिस) इत्यादि दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित किया जा सकता है ।

5. 01.08.2018 को शैक्षिक योग्यता

सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष है ।

टिप्पणी- I : केवल दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद के लिए शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा के लिए नियत तिथि को पुरूष अभ्यर्थियों के पास हल्के मोटर वाहन(मोटर साइकिल एवं कार) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसैंस होना चाहिए। तथापि, वे अभ्यर्थी जिसके पास हल्के मोटर वाहन(मोटर साइकिल एवं कार) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अन्य सभी पदों के लिए पात्र है ।

टिप्पणी- II : भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

टिप्पणी- III : जिन अभ्यर्थियों ने **01.08.2018 को** शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है , वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पणी-IV: आयोग द्वारा अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को 01 अगस्त, 2018 को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण-पत्र जैसे स्नातक के सभी तीन वर्षों की अंक तालिकाएं/अनंतिम प्रमाण पत्र /स्नातक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे । ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा ।

6. **आवेदन कैसे करें:** अभ्यर्थी वेबसाइट http://www.ssconline.nic.in के माध्यम से अथवा http://www.ssc.nic.in>Apply>CAPF. पर मुहैआ किए गए लिंक "click here to apply" के माध्यम से ही आवेदन करें । आवेदनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की कार्यविधि अनुबंध-II पर दी गई है।

7. आवेदन शुल्क :- 100/-रुपए (केवल एक सौ रुपए) शुल्क का भुगतान भा. स्टे. बैं. चालान/भा. स्टे. बैं. नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा visa/master card/maestro क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है ।

महिला अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है । **एक बार भुगतान किया गया शुल्क किन्ही भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा** ।

वे अभ्यर्थी, जिन्हें शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान नहीं की गई है, को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग के पास जमा हो गया है । यदि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं किया गया है, तो आवेदन प्रपत्र की प्रस्थिति में "अपूर्ण" दर्शाया जाता है तथा यह सूचना आवेदन प्रपत्र के ऊपरी भाग पर प्रिंट कर दी जाती है। इसके अलावा ऐसी प्रस्थिति को http://www.ssconline.nic.in पर दिए गए टैब "आवेदन की प्रस्थिति की यहां जांच करें" पर भी सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन, जो शुल्क प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण रहते हैं, को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा ऐसे आवेदनों के बारे में विचार करने तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद शुल्क के भुगतान के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. परीक्षा के केन्द्र : अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उस केंद्र/केंद्रों को इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है :-

क्र.स.	**परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड**	**क्षेत्रीय कार्यालय का पता**
1.	**2.**	**3.**
1.	आगरा(3001), इलाहाबाद (3003), बरेली(3005), गोरखपुर (3007), कानपुर(3009), लखनऊ(3010) वाराणसी(3013), भागलपुर(3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना(3206),	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002

2.	कोलकाता(4410), पोर्ट ब्लेयर (4802), गंगटोक(4001), भुवनेश्वर(4604), रांची(4205)	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एम एस ओ भवन,(आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
3.	बंगलोर(9001), तिरूवनन्तपुरम(9211), कोची(9204), त्रिसूर(9212), गुलबर्गा(9005), मंगलोर(9008), धारवाड़(9004), कोझीकोड (कालीकट) (9206), मैसूर(9009)	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल,"ई" विंग, केंद्रीय सदन,कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
4.	दिल्ली(2201), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407), भरतपुर(2403), बीकानेर(2404), उदयपुर(2409), अजमेर(2401), अलवर (2402), श्रीगंगानगर(2408), देहरादून(2002), हलद्वानी(2003), अलमोड़ा(2001), हरिद्वार(2005)	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110504
5.	गुवाहाटी(दिसपुर)(5105), ईटानगर(5001),डिब्रूगढ़ (5102), जोरहाट(5107), सिलचर(5111), इम्फाल(5501), शिलांग (5401), उखरूल(5503), आइजोल(5701), कोहिमा(5302), अगरतला(5601),चूड़ाचाँदपुर(5502), तुरा(5402), ग्वालपाड़ा(5104), तेजपुर(5112), लखीमपुर (5109)	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाऊसफेड कम्प्लेक्स वेस्ट एन्ड ब्लॉक,लास्ट गेट, बेल्टोला बशिस्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006
6.	हैदराबाद(8002), गुंटूर(8001), कर्नूल(8003), राजमुंदरी(8004), तिरूपति(8006), चेन्नई(8201), पुडुचेरी(8401), तिरूचिरापल्ली(8206), विशाखापट्नम(8007) विजयवाड़ा(8008)	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ई वी के सपंत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
7.	औरंगाबाद (7202), मुम्बई(7204), कोल्हापुर(7203), नागपुर(7205),पणजी(7801), पुणे(7208), अहमदाबाद(7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006), नासिक (7207), अमरावती (7201) सूरत(7007), कच्छ(7010), ठाणे(7210)	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
8.	इंदौर(6006), जबलपुर(6007),जगदलपुर(6203), छिंदवाड़ा(6003), बिलासपुर(6202),सतना(6014), रतलाम(6011),सागर(6015), दुर्ग(6205), रायपुर(6204), भोपाल(6001), ग्वालियर(6005)	उप-निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
9.	लेह(1005), चण्डीगढ़(1601), जम्मू(1004), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)(1007), शिमला(1203), हमीरपुर(1202)	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3, भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160017

टिप्पणी : अभ्यर्थी प्राथमिकता के क्रम में एक ही क्षेत्र के अंतर्गत तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकते हैं । **किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के केंद्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।** तथापि, आयोग के पास यह अधिकार **सुरक्षित** है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी **अन्य** केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर **स्थानांतरित** कर दे ।

9. परीक्षा की योजना

इस परीक्षा में प्रश्नपत्र-I, शारीरिक मापदंड परीक्षा(शा.मा.प.)/शारीरिक क्षमता परीक्षा(शा.क्ष.प.), प्रश्नपत्र-II और विस्तृत चिकित्सा जांच(डीएमई) शामिल होगी। परीक्षा के ये सभी स्तर अनिवार्य हैं । इन प्रश्नपत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

प्रश्नपत्र-।

परीक्षा की तिथि	भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि / अनुमत्य समय
04.06.2018 से 10.06.2018 तक	I	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	50	50	2 घंटे
	II	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी	50	50	
	III	संख्यात्मक अभिरूचि	50	50	
	IV	अंग्रेजी परिज्ञान	50	50	

प्रश्नपत्र-।।

परीक्षा की तिथि	विषय	अधिकतम अंक	अधिकतम प्रश्न	अवधि और समय
01.12.2018	अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान	200	200	2 घंटे

इन दोनों प्रश्नपत्रों में **वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्पीय प्रकार** के प्रश्न होंगे । प्रश्नपत्र -। के भाग I, II और III में **प्रश्न** अंग्रेजी तथा हिंदी में तैयार किए जाएंगे । प्रश्नपत्र-। और प्रश्नपत्र-।। में अंकित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की कटौती की जाएगी । अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात को ध्यान में रखें। आयोग अपने विवेक से प्रश्नपत्र-।, प्रश्नपत्र-।। और प्रश्नपत्र-। के किसी भाग के लिए अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

टिप्पणी-।: आयोग के पास परीक्षा की योजना में परिवर्तन करने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है ।

टिप्पणी-।।: अभ्यर्थियों को किसी प्रश्नपत्र(टेस्ट बुकलेट) का उत्तर देने के लिए मोबाइल फोन,कैलकुलेटर, ब्लुटुथ यंत्र या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक/वैद्युत साधन का प्रयोग करने की अनुमति **नहीं है ।** अत: अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन के अंदर **मोबाइल फोन,कैलकुलेटर या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक/वैद्युत साधन** नहीं लाना चाहिए । इन्हें अपने पास रखना, चाहे इनका इस्तेमाल हो या न हो, परीक्षा में "अनुचित साधन का प्रयोग" करना माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों को 03(तीन) वर्ष की अवधि तक के लिए वारित किया जा सकता है।

10 कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति के लिए निश्चयार्थ पाठ्यक्रम:

प्रश्नपत्र-।

I. सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, अन्तराल संकल्पना,स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण,निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या-शृंखला, गैर-शाब्दिक शृंखला,कोडिंग एवं डिकोडिंग,विवरण निष्कर्ष,न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । ये विषय हैं : सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक शृंखला, अंक शृंखला, आंकड़े संबंधी क्रम,समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, प्रतिकात्मक संक्रिया, उपनति, अंतराल अभिविन्यास, अंतराल विज्यूलाइजेशन, वैन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच्छ होल/ पैर्टन-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं कंप्लिशन,

सूचीकरण,पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग, डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंत: स्थापित आंकड़े , आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा अन्य सह- विषय, यदि कोई हो तो ।

II. **सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी :** इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने संबंधी प्रश्न पूछे जायेगें, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

III. **संख्यात्मक अभिरूचि :** इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव , खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल,औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणियों के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ,त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र,त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृतो की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज , वृत, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात,डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

IV. **अंग्रेजी परिज्ञान:** इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जाँचा जाएगा ।

प्रश्नपत्र ।।

अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान: इस घटक में अभ्यर्थी के अंग्रेजी भाषा की समझ और जानकारी की जाँच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे जो कि गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की (क्रिया, पूर्वसर्ग, उपपद इत्यादि का प्रयोग करके) पूर्ति, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोमार्थक, वाक्य पूरे करने, वाक्यांशों एवं शब्दों आदि के मुहावरेदार प्रयोग तथा परिज्ञान इत्यादि पर आधारित होंगे ।

टिप्पणी । : *आयोग के पास अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थियों की श्रेणीवार रिक्तियों और श्रेणीवार संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रश्नपत्र-। के प्रत्येक भाग में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा । केवल उन्हीं अभ्यर्थियों, जिन्होंने आयोग द्वारा प्रश्नपत्र-। में निर्धारित कट- ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हों को शारीरिक क्षमता परीक्षा/चिकित्सा परीक्षा में बैठना अपेक्षित होगा ।*

टिप्पणी ।। : केवल उन्हीं अभ्यर्थियों, जिन्होंने शारीरिक क्षमता परीक्षा/शारीरिक मापदंड परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, को प्रश्नपत्र-II में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा और तत्पश्चात चिकित्सा जांच की जाएगी ।

टिप्पणी ।।। : अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में ऐसे किसी भी अनुचित ढंग के इस्तेमाल से दूर रहने की सलाह दी जाती है जो उन्हें परीक्षा के लिए आगे विचार किए जाने के लिए अपात्र बना देगा और इससे वे भविष्य में आपराधिक अभियोजन के अलावा आयोग की परीक्षा से वारित भी हो जाएंगे ।

11. शारीरिक मापदंड परीक्षा(शा.मा.प.)/शारीरिक क्षमता परीक्षा(शा.क्ष.प.) :

11(क) शारीरिक मापदण्ड (सभी पदों के लिए)

अभ्यर्थियों की श्रेणी	लंबाई (सें.मी. में)	सीना (सें.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाकर
(i)केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु '**सामान्य**'	170	80	85
गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	165	80	85
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5	77	82
(ii)केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य	157	-	-
गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	155	-	-
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	154	-	-

11(ख) शारीरिक दक्षता (क्षमता) परीक्षा (शा.द.प.) (सभी पदों के लिए)

(i) केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए

क) 16 सैकंड में 100 मीटर की दौड़
ख) 6.5 मिनट में 1.6 किमी. की दौड़
ग) 3 अवसरों में 3.65 मीटर लंबी कूद
घ) 3 अवसरों में 1.2 मीटर ऊंची कूद
ङ) 3 अवसरों में 4.5 मीटर गोला फेंक (16 पाउंड)

(ii) केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए

क) 18 सैकंड में 100 मीटर की दौड़

ख) 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़

ग) 3 अवसरों में 2.7मी.(9 फीट) लंबी कूद

घ) 3 अवसरों में 0.9मी.(3 फीट) ऊंची कूद

टिप्पणी :

1. महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की न्यूनतम आवश्यकता **नहीं** होगी ।
2. उपर्युक्तानुसार लंबाई तथा सीने की माप में छूट (यथास्थिति) **अनुबंध-VIII में यथा-निर्धारित प्रारूप में** जहाँ वह सामान्यत: रहता है उस जिले के सक्षम प्राधिकारी का **प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही** अनुमेय होगी ।
3. **"दिल्ली पुलिस में प्रारंभिक नियुक्ति के समय शारीरिक मापदंडों(लम्बाई/सीना) में एक बार प्रदान की गई छूट तब तक मान्य रहेगी, जब तक संबंधित व्यक्ति दिल्ली पुलिस में रहता है ।"**
4. ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मापदण्डों अर्थात् लम्बाई और सीने के माप में गैर-अर्हक घोषित किए जाते हैं, वे यदि चाहें तो, शारीरिक क्षमता परीक्षण स्थल में उपस्थित अपील प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं । अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी अन्य अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11(ग) **वजन** : सभी पदों के लिए लंबाई के तद्नुरूप

11(घ) **चिकित्सा मानदंड** (सभी पदों के लिए)

दृष्टि : पास की न्यूनतम दृष्टि एन-6(बैटर आई) और एन-9(वर्स आई) होनी चाहिए । दूर की न्यूनतम दृष्टि **दोनों आँखों में 6/6(बैटर आई) तथा 6/9(वर्स आई) होनी चाहिए ।** दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए बैटर आई दायीं आँख है और वर्स आई बायीं आँख और इसी प्रकार बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए बैटर आई बायीं आंख है और वर्स आई दायी आंख । ये मानक बिना दृष्टि सुधार या बिना चश्मा पहने हुए निर्धारित हैं।

अभ्यर्थी के **घुटने मिले हुए, पैर सपाट, सूजी हुई नस** अथवा **आंखों में भेंगापन नहीं** होना चाहिए और उनकी रंग संबंधी उच्च दृष्टि होनी चाहिए । उन्हें **शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ** तथा कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाधा पहुंचाने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए ।

टिप्पणी-I शा.क्ष.प. के लिए कोई अंक नहीं होंगे पर यह परीक्षा केवल अर्हक/निष्कासन स्वरूप ही होगी

टिप्पणी II: उक्त पदों के लिए आवेदन कर रहे भूतपूर्व सैनिकों के लिए शा.क्ष.प. देना अपेक्षित नहीं है । तथापि, सभी भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है तथा सहायक उप-निरीक्षक/उप-निरीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मापदण्डों को पूरा करना होगा । उन्हें सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चिकित्सा मानदण्डों को भी पूरा करना होगा ।

टिप्पणी : III उन महिला अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी जो शारीरिक क्षमता परीक्षा के समय गर्भवती होंगी क्योंकि वे शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग नहीं ले सकती । इस प्रकार की निरस्तता के विरुद्ध किसी प्रकार के अपील/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी :IV चिकित्सा परीक्षा प्रश्नपत्र-।। में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की चिकित्सा संबंधी जांच कें.स.पु.ब. के चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी भी केन्द्र/राज्य सरकारी अस्पताल अथवा औषधालय के श्रेणी -। सहायक सर्जन द्वारा की जाएगी । जिन अभ्यर्थियों को चिकित्सा आधार पर अनुपयुक्त पाया जाता है, उन्हें इस स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा तथा वे 15 दिन की निर्धारित समय सीमा के अंदर पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं । पुन:चिकित्सा बोर्ड/पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पुन:चिकित्सा बोर्ड/पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध किसी अपील/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

उप-निरीक्षक और सहायक उप-निरीक्षक के पद के लिए अंतिम तौर पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में निम्नलिखित सात बाधा स्पर्धाएं उत्तीर्ण करनी होंगी अन्यथा उन्हें बल में शामिल नहीं किया जाएगा :-

(i) लम्बवत बोर्ड के ऊपर कूदना ;
(ii) बोर्ड से रस्सी पकड़ते हुए कूदना ;
(iii) टार्जन स्विंग;
(iv) क्षैतिज बोर्ड पर कूदना;
(v) समानांतर रस्सी;
(vi) मंकी क्रॉल;
(vii) लंबवत रस्सी ।

11(ङ) टेटू :चिकित्सा जांच के दौरान यह देखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित हो रहे है जिनके शरीर के विभिन्न भागों में टेटू बने हुए है । इस संबंध में दिल्ली पुलिस, के.स.पु.बलों में उप निरीक्षक और के.औ.सु.बल परीक्षा में आवेदन करने वाले टेटू वाले अभ्यर्थियों के संबंध में गृह मंत्रालय ने अपने पत्र सं. आई-45020/7/2012/कार्मिक-।। दिनांक 12.01.2017 और 30.01.2017 द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं :-

(i) **विषय वस्तु :** धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना अपेक्षित है तथा इसलिए धार्मिक चिह्न दर्शाने वाले टेटू अथवा आकृति और नाम, जैसा कि भारतीय सेना में अनुसरण किया जाता है, स्वीकार्य है ।

(ii) **स्थान :** शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे अग्रबाहु का भीतरी हिस्सों परन्तु केवल बांया, अग्रबाहु जो कि सैल्यूट न करने वाला अंग हो अथवा हाथ का पृष्ठ भाग हो, पर टेटूओं को स्वीकार किया जाएगा ।

(iii) **आकार :** इसका आकार शरीर के किसी विशेष भाग(कोहनी अथवा हाथ) के एक चौथाई भाग से छोटा होना चाहिए ।

दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के लिए टैटू संबंध में उपर्युक्त खंड लागू नहीं है ।

12. चयन का तरीका:

(i) अभ्यर्थी प्रश्नपत्र-I में अपने कार्य निष्पादन के आधार शा.क्ष.प./शा.मा.प. परीक्षा में भाग लेने के लिए शार्टलिस्ट किए जाएंगे। आयोग को अन्य के साथ-साथ श्रेणीवार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणीवार संख्या का ध्यान रखते हुए प्रश्नपत्र-। के प्रत्येक भाग में विभिन्न न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(ii) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-II में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने शा.क्ष.प./शा.मा.प. परीक्षा में अर्हताप्राप्त की है ।

(iii) अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा । जो अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें विस्तृत दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा ।

(iv) शार्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आना होगा । जो ऐसा करने में असफल रहते हैं, उनके नाम पर अंतिम चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेज मूलरूप में प्रस्तुत करने होंगे ।

(v) अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II में प्राप्त किए गए समग्र अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा । अभ्यर्थियों का विभिन्न प्रयोक्ता विभागों/बलों के लिए आबंटन उनकी मैरिट स्थिति और दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई पद वरीयता के आधार पर किया जाएगा ।

(vi) अजा/अजजा, अपिव और भूपूसै अभ्यर्थी जो कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए लागू मानकों पर चयनित किए गए हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी समग्र योग्यता स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में से सहयोजित किया जाएगा जो भी उनके लिए लाभकारी होगी। आरक्षित रिक्तियां पृथक रूप से अजा, अजजा, अपिव और भूपूसै श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी ।

(vii) अजा, अजजा, अपिव और भूपूसै श्रेणी के अभ्यर्थी को, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मानकों की तुलना में आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हताप्राप्त करता है, उसे आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों में विचार किए जाने हेतु अनुपलब्ध माने जाएंगे।

(viii) आरक्षित श्रेणी में रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों को रियायती मानकों पर भी संस्तुत किया जा सकता है ।

(ix) भूपूसै के लिए यथा अनुमत्य आयु सीमा में छूट का लाभ आयु के संबंध में रियायती मानकों के रूप में नहीं माना जाएगा।

(x) परीक्षा में सफलता मात्र से ही नियुक्ति का आधार नहीं मिल जाता जब तक की सरकार यथा आवश्यक जांच के उपरांत संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी हर प्रकार से उक्त सेवा/पद के लिए उपयुक्त है ।

(xi) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । पात्रता की निर्धारित शर्तों के अध्यधीन परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा। यदि किसी भी समय जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

(xii) परीक्षा के आधार पर नियुक्त हुए अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे और परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करें या ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करें । परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर यदि अभ्यर्थियों को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो अभ्यर्थियों को उनके पदों पर स्थायी कर दिया जाएगा ।

13. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

ऐसी स्थिति में जहां एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किए जाते हैं तो बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा एक के बाद दूसरे तरीके को अपनाते हुए किया जाएगा :

(i) प्रश्नपत्र-I तथा प्रश्नपत्र-II में कुल अंकों को देखकर ।

(ii) प्रश्न-पत्र-I में कुल अंक को देखकर ।

(iii) प्रश्न-पत्र-II में कुल अंक को देखकर
(iv) जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा ।
(v) वर्णानुक्रम से जिसमें कि अभ्यर्थी का पहला नाम आता है ।

14. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. संख्या 39020/1/2016- स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात् आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा :

(i) अभ्यर्थी का नाम
(ii) पिता/पति का नाम
(iii) जन्म तिथि
(iv) श्रेणी(सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/अल्पसंख्यक)
(v) अभ्यर्थी का लिंग
(vi) शैक्षिक योग्यता
(vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक
(viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है ।
(ix) पूर्ण पता
(x) ई-मेल

तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा । तद्नुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, जिन्होंने उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है अथवा असावधानीवश अपना विकल्प नहीं दिया है ।

15. परीक्षा में प्रवेश:

(i) सभी अभ्यर्थी जो **अंतिम तिथि** तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उन्हें अनुक्रमांक दिया जाएगा, जिसे परीक्षा तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा । आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें । ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) परीक्षा के प्रवेश पत्र(प्र.प.) जिनमें प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी, परीक्षा तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे । **इन्हें डाक से नहीं भेजा जाएगा ।** यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, की वेबसाइट से प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने में असमर्थ होता है, तो उसे प्रवेश पत्र प्राप्ति के लिए तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने ब्यौरे जैसे पंजीकरण आइ डी, भारतीय स्टेट बैंक की ट्रांजेक्शन आई डी, चालान की प्रति के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए । ऐसा न करने पर उनके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग किए गए फोटोग्राफ हाल ही के होने चाहिए, तनाव रहित चेहरा हो तथा हल्के रंग में रंगीन फोटो, अधिमानत: श्वेत पृष्ठ भूमि हो। यदि फ्लैश का उपयोग किया गया हो तो यह सुनिश्चित करें कि आँखें लाल ना हों, तथा यदि चश्मा लगाया गया हो तो आँखे स्पष्ट दिखाई दें । पूरे फोटों में चेहरा 80 प्रतिशत से कम न हो। फोटोग्राफ जे पी जी फारमेट्स में होना चाहिए तथा इसका आकार 4 के बी से 20 के बी के बीच का होना चाहिए।

(iv) कम से कम एक मूल फोटो आईडी जैसे मतदान आइडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा उस सरकारी अथवा अन्य कार्यालय द्वारा जारी किया गया आईडी, जहाँ अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, लाना अनिवार्य है। ऐसा आईडी कार्ड न लाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों को, यदि आवश्यक हो तो, निरीक्षक की उपस्थिति में आयोग के प्रवेश प्रमाणपत्र की प्रति में चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार के 03 फोटोग्राफ लाने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास फोटोग्राफ नहीं होंगे उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह उसी फोटोग्राफ जिसे अपलोड किया गया/आवेदन पत्र पर चिपकाया गया था की 10 प्रतियाँ परीक्षा की समस्त प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पास रखें ।

(vi) अपाठ्य/धुंधला फोटोग्राफ और/अथवा हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।

16. आयोग का निर्णय अंतिम :

(क) पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

17. <u>कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:</u>

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि उन्हें कोई काट-छांट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए ।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक होगा उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

(i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं ईयरफोन तथा कोर्ड, ब्ल्यूटुथ उपकरण सहित अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहे इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो ।

(ii) परीक्षा हॉल/प्रयोगशाला में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर।

(iii) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।

(iv) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।

(v) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें काट-छांट की गई हो ।

(vi) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।

(vii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।

(viii) परीक्षा प्रक्रिया में बाधा, अन्य अभ्यर्थियों को भड़काना अथवा परीक्षा हॉल/प्रयोगशाला में किसी अन्य प्रकार का उच्छृंखल व्यवहार करना।

(ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।

(x) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

(xi) विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करने पर ।

(xii) अन्य कोई आधार जिसे आयोग अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे।

18. <u>वरीयता :</u>

(क) अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में उस पद का नाम दर्शाना अपेक्षित है जिससे कि वरीयता क्रम में उसके नाम पर विचार किया जा सके। विभिन्न पदों के लिए कोड निम्नानुसार हैं :-

(ए) दिल्ली पुलिस (दि.पु.) में उप निरीक्षक

(बी) सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) में उप निरीक्षक

(सी) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के .औ .सु.ब.) में उप निरीक्षक

(डी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के .रि .पु.ब.) में उप निरीक्षक

(इ) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (भा.ति.सी पु.ब.) में उप निरीक्षक

(एफ) सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.) में उप-निरीक्षक

(जी) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के .औ .सु .ब.)में सहायक उप निरीक्षक

टिप्पणी: दस्तावेज सत्यापन के समय विभिन्न पदों/बलों की वरीयता के लिए नया विकल्प लिया जाएगा।

19. <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस शहर/कस्बे के न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है और जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

20. <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :</u>

(i) आयोग आवेदकों की पात्रता और अन्य पहलुओं की व्यापक संवीक्षा(छानबीन)लिखित परीक्षा के समय नहीं करेगा और इसलिए आवेदन केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक, चिकित्सा मानक इत्यादि की अपेक्षाओं को भली-भांति देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इन पदों लिए पात्र हैं। संवीक्षा करते समय यदि किसी अभ्यर्थी का दावा प्रमाणिक नहीं पाया जाता है, तो आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूपूसै श्रेणियों के लिए उपलब्ध आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। अपने दावे के समर्थन में उनके पास निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।

(iii) शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।

(iv) आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने कार्यालय से लगातार सेवा की अवधि के संबंध में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उनके चयन की स्थिति में उनकी नियुक्ति के समय तक वे केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी होने चाहिए ।

(v) शुल्क: एक सौ रुपए (100/-रुपए)केवल
महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों (आरक्षण के लिए पात्र) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट प्राप्त है।

(vi) अंतिम तिथि : 02.04.2017 (सायं 5.00 बजे तक) ।

(vii) इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करनी होगी । अत: अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों को भरते समय सचेत रहने की सलाह दी जाती है । डुप्लीकेट आवेदन प्राप्त होने के मामले में आयोग नवीनतम आवेदन पर विचार करेगा । यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करते है तथा एक से अधिक बार परीक्षा देते है तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

(viii) परीक्षा हॉल/प्रयोगशाला के अंदर मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है । परीक्षा के दौरान इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए समझा जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई एवं 3(तीन) वर्ष तक उन्हें आयोग की परीक्षा से वारित किया जा सकता है।

(ix) इस परीक्षा के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 03.03.2018 से 02.04.2018 (सायं 5.00बजे)तक उपलब्ध होगी । तथापि, जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करने के इच्छुक हैं, वे 05.04.2018 तक बैंक के कार्यदिवसों में भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं बशर्ते कि उनके द्वारा 02.04.2018 को सांय 5.00 बजे से पहले चालान निकाल लिया जाए । अभ्यर्थियों को आयोग के साथ पत्राचार करने के लिए उन्हें दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर और शुल्क भुगतान का ब्यौरा अपने पास रखना चाहिए । उन्हें आयोग में अपने आवेदन का प्रिंट आऊट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(x) मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा आवेदन जमा करने की तिथि को उपलब्ध समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि को ही केवल जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

(xi) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटोग्राफ लाने चाहिए । यदि प्रवेश प्रमाणपत्र तथा/अथवा उपस्थिति पुस्तिका की आयोग की प्रति में मौजूद स्कैन किया गया फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है तो निरीक्षक को अभ्यर्थी के फोटो आईडी प्रमाण पहचान पत्र से उसकी पहचान सत्यापित करनी अपेक्षित है तथा प्रवेश प्रमाण पत्र तथा अथवा उपस्थिति पुस्तिका की आयोग की प्रति में रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना अपेक्षित है। तदनुसार अभ्यर्थियों को निरीक्षक के उपस्थिति में प्रवेश प्रमाणपत्र की आयोग की प्रति में चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ लाना चाहिए। फोटोग्राफ न लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xii) दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक को छोड़कर सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयन होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

(xiii) उक्त परीक्षा के लिए कोई प्रवेश प्रमाणपत्र/प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करना अपेक्षित है।

(xiv) **अभ्यर्थी को मैट्रिक्यूलेशन प्रमाणपत्र में दिए गए अनुसार अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम लिखना चाहिए ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।**

(xv) अभ्यर्थी के फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर: अभ्यर्थी को एक बारगी पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करना अपेक्षित है । फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर जेपीजी/जेपीईजी फार्मेट में अपलोड करें । फोटोग्राफ का डिजिटल आकार 4 से 20 के.बी. के भीतर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर फाइल 1-12 के.बी. के बीच का होना चाहिए।

(xvi) अस्पस्ट/धुंधला फोटोग्राफ और/ अथवा हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।

(xvii) एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(xviii) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है ।
अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित नवीनतम अद्यतन/सूचना के लिए आयोग मुख्यालय तथा संबंधित कचआ के क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को नियमित तौर पर देखना चाहिए ।

(xix) आवेदन पत्र से संबंधित विस्तृत अनुदेशों, आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश तथा आवेदनों की ऑनलाइन भुगतान/प्रस्तुति के लिए अभ्यर्थियों को अनुबंध-।। देखने की सलाह दी जाती है ।

अवर सचिव(नी. एवं यो-।।)

अनुबंध-।।

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण/जमा करने की प्रक्रिया/अनुदेश

1. अभ्यर्थियों को वेबसाइट http://www.ssconline.nic.in के माध्यम से आवेदन करना होगा अथवा http://www.ssc.nic.in>Apply>CAPF पर दिए गए "Clik here to apply" लिंक पर जाना होगा ।

2. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एकबारगी पंजीकरण फार्म/आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।

3. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण भाग भरना चाहिए ।

4. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फार्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।

5. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।

6. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा । पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें । यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड होगा जो इस परीक्षा के साथ साथ आयोग की किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए अपेक्षित होगा।

7. पंजीकरण फार्म जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करने चाहिए । फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर जेपीजी/जेपीईजी फार्मेट में अपलोड करना चाहिए । फोटोग्राफ फाइल का डिजिटल आकार 4 के बी से अधिक तथा 20 केबी से कम होना चाहिए । हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 के बी से अधिक तथा 12 केबी से कम होना चाहिए ।

8. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।

9. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।

10. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी ऊपर क्र. सं. 3 से 9 के अनुदेशों को छोड़कर अपनी "पंजीकरण आइ.डी." तथा "पासवर्ड" का प्रयोग करके सीधे सिस्टम में लॉगइन कर सकते हैं और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं ।

11. यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए 'एक बारगी पंजीकरण', डाटा, फोटोग्राफ/हस्ताक्षर इत्यादि में कोई विसंगति हो तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले उस 'एक बारगी पंजीकरण' डाटा में उपयुक्त रूप से परिवर्तन किए जा सकते है । आयोग पंजीकरण के बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग तथा मैट्रिकूलेशन अनुक्रमांक आदि में केवल एक बार संशोधन करने की अनुमति देता है । अत: इन खानों को बेहद सावधानी से भरा/परिवर्तित किया जाए । 'एक बारगी पंजीकरण' के अन्य खानों में परिवर्तन प्रत्येक परीक्षा से पहले केवल एक बार किया जा सकता है । परन्तु यह परीक्षा का आवेदन

जमा करने से पहले करना होगा । ऐसा परिवर्तन आवेदन पत्र जमा करने से पहले स्वीकार्य है । एक बार आवेदन जमा कर दिया गया है तो 'एकबारगी पंजीकरण' और 'आवेदन डाटा' में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

12. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञप्ति के अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए। उन्हें इस बारे में अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि वे इन पदों पर आवेदन करने के पात्र हैं ।

13. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से जमा करने से पहले उसमें भरी गई सभी प्रविष्टियों की पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए । कोई भी विसंगति होने की स्थिति में, संगत प्रविष्टि में सुधार/बदलाव किया जा सकता है । ऑनलाइन आवेदन फार्म अंतिम रूप से जमा करने के पश्चात् किसी प्रविष्टि में किसी बदलाव की अनुमति नही दी जाएगी ।

14. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात, अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान करना होगा ।(जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट है उन्हें शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नही है) शुल्क का भुगतान भा.स्टे.बै. चालान/भा.स्टे.बैं. नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा वीजा/मास्टर कार्ड/मैस्ट्रो क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है । ऑनलाइन आवेदन जमा करने (आनलाइन विधि के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा दिनांक 03.03.2018 से 02.04.2018 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। तथापि वह अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वे दिनांक 05.04.2018 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा चालान दिनांक 02.04.2018 को सायं 5.00 बजे से पहले जनरेट किया हो।

15. शुल्क का नकद भुगतान सफलतापूर्वक कर लेने पर आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा । आप अपने रिकॉर्ड के लिए इसका प्रिंट आऊट ले सकते हैं, परन्तु आपको इसका प्रिंट आऊट आयोग को जमा कराने की आवश्यकता नही है ।

<u>अनुबंध-III</u>

<u>आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 4 (ख) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ_________________ रू. के वेतनमान में ____________ के पद पर कार्य कर रहे/रही है।

हस्ताक्षर__________________

नाम __________________

कार्यालय की मुहर _______________

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध IV

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 4(ख) की टिप्पणी ।।। देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ………… ……………………… (नंबर) …………………………………(रैंक) ………………………… …………(नाम)………………………………………………(दिनांक)……………………………को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान: (कमान अफसर के हस्ताक्षर)

दिनांक: कार्यालय की मुहर:

अनुबंध - V

विज्ञप्ति के पैरा 4(ख)की टिप्पणी ।।। के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36034/1/2014-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14.8.2014 के अलावा यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता हूं :

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ____________________

ख) कार्यमुक्ति की तिथि ____________________

ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि ____________________

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर __________________

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान

दिनांक :

अनुबंध - VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यत: रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यत: रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*…………………… …….. ….. .. . … …

पुत्र/पुत्री……………………………………………………निवासी ग्राम/कस्बा* …………………..

जिला/संभाग*……………………………राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*……………….के ………………..

जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950……………………………………………

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950…………………………………………

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*……………………………………………

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*………………………………………

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950……………………………………………

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950…………………………………………

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*……………………………………………

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*………………………………………

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956………………………..

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ……………………………………………के माता/पिता श्री/श्रीमती………………………………………………निवासी ग्राम/कस्बा*……………………… जिला/संभाग*…………………………राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*……………………………………… को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो … ………………………जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो………………………………… दिनांक ……………… ……………द्वारा जारी………………………………………राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी……………………… और/या* उनका परिवार सामान्यत: ग्राम/कस्बा*………………… जिला/संभाग*…………………………राज्य/संघ राज्य क्षेत्र……………………………में रहता है ।

हस्ताक्षर……………………

**पदनाम………………

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान………………
दिनांक……………

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यत: रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुबंध-VII

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु ....पुत्र/पुत्री .... ग्राम .... जिला/संभाग ....राज्य .... समुदाय से संबंधित हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प सं............................. दिनांक..................* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है । श्री/श्रीमती/कुO .... तथा/या उनका परिवार सामान्यत:.......... .... राज्य के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08. 09. 1993** के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93 स्था.(एससीटी) की अनूसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश.............................
या उपायुक्त आदि....................

दिनांक:
मुहर:

- प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है ।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

<u>अनुबंध - VIII</u>

<u>लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>
<u>(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा -11 (क-i)/11(क-ii) के नीचे टिप्पणी देखें)</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री --
----पुत्र श्री---
-----------------ग्राम--
--------------------------तहसील/तालुका--जिला---------------
-----------------------------राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* उपर्युक्त समस्त क्षेत्र के निवासी भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए ------------------------------------(गढ़वाली, कुमायूंनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमी) माने जाते हैं ।

* वह हिमाचल प्रदेश/लेह एवं लद्दाख/कश्मीर घाटी/पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं जिस पर भारत संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु लंबाई की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है ।

* वह अनुसूचित जनजाति के हैं ।

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :
स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें ।

<u>अनुबंध -IX</u>

विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 4 (ख) देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, संख्या---------------------------रैंक --------------------------------------- नाम --जिन्हें--- के रैंक पर ---में --को---------------------------------नियुक्त किया गया था, वे --में लगातार सेवा कर रहे हैं और तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने --को अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हैं । वे इस समय इस यूनिट ---(यूनिट का नाम) में तैनात हैं । सेवा के दौरान उन्हें --जैसी बड़ी सजा और ------------------------------------जैसी हल्की सजा दी गई है ।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम ----------------

कार्यालय की मुहर

अनुबंध X

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
बी.ए.	05
बी.ए(आनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम(आनर्स)	08
बी.एस.सी	09
बी.एस.सी(आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी	12
बी.ई.	13
बी.टैक	14
ए.एम. आई.ई(भाग क व भाग ख)	15
बी.एस.सी(इंजी.)	16
बी.सी.ए	17
बी.बी.ए	18
रक्षा(भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी.डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी.	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एस.सी(इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए.	34
अन्य	35

अनुबंध-XI

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

शैक्षिक योग्यता का विषय	कोड
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी साहित्य	04
हिंदी साहित्य	05
भूगोल	06
वाणिज्य	07
विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रसायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति शास्त्र	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रोनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रोनिकी एवं इंस्टूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटेंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33
फॉर्मेसी	34
फोटोग्राफी	35
मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37

असमी	**38**
बंगाली	**39**
मलयालम	**40**
तेलगु	**41**
कन्नड	**42**
तमिल	**43**
मराठी	**44**
गुजराती	**45**
उर्दू	**46**
संस्कृत	**47**
अन्य	**48**